इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 फरवरी 2018—माघ 14, शक 1939

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

निविदा सूचना

ग्वालियर, दिनांक 3 फरवरी 2018

मध्यप्रदेश के 51 जिलों (आपूर्ति क्षेत्रों) में सीलबन्द बोतलों में देशी मदिरा (स्पिरिट) की आपूर्ति के लिए निविदा सूचना

कमांक/5(1)2017–18/863, दिनांक 03 फरवरी, 2018– दिनांक 01 अप्रैल 2018 से दिनांक 31 मार्च 2019 की अवधि हेतु मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत भंडारण भाण्डागारों से देशी मदिरा के फुटकर ठेकेदारों को देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों में आपूर्ति के लिये अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों हेतु मध्यप्रदेश के आसवकों से निविदा सूचना में उल्लेखित प्रत्येक जिले/आपूर्ति क्षेत्र के लिये पृथक–पृथक सीलबंद निविदायें आमंत्रित हैं।

2 (i) निविदादाता को आसवक (डिस्टलर) होना चाहिए, जिसके पास अनिवार्यतः आसवनी (डिस्टलरी) एवं देशी स्प्रिट के विनिर्माण, बोतल भराई एवं थोक प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश का उपयुक्त लायसेंस हो।

(ii) प्रत्येक इच्छुक आसवक एक या एक से अधिक जिलों/(आपूर्ति क्षेत्रों) हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक जिला एक आपूर्ति क्षेत्र होगा।

3 आपूर्ति जिला/जिलों (आपूर्ति क्षेत्र/क्षेत्रों) के लिए निविदा/निविदाओं पर निम्नांकित कण्डिकाओं के आधार पर विचार किया जावेगा :–

(i) **आपूर्ति हेतु निविदा में उल्लेखित दर –**

(अ) निविदादाता द्वारा उल्लेखित (Quoted) दर की अन्य निविदादाताओं द्वारा उल्लेखित (Quoted) दरों से तुलना की जाएगी। एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा उल्लेखित (Quoted) की गयी न्यूनतम दरों में समानता पाये जाने पर इनमें किसी एक निविदा पर विचार करने का निर्णय लॉटरी (Draw of lots) द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में कोई वार्ता (Negotiation) नहीं की जाएगी।

(ब) सफल निविदादाता द्वारा फुटकर मदिरा विक्रेताओं को देशी मदिरा विक्रय के प्रयोजन हेतु निम्नांकित आधार दरें **(Base Rates)** निर्धारित की गयी है :–

1.	मसाला (ग्लास), 25 डिग्री यू.पी.	रूपये 520 प्रति पेटी
2.	मसाला (पैट), 25 डिग्री यू.पी.	रूपये 471 प्रति पेटी
3.	प्लेन (ग्लास), 50 डिग्री यू.पी.	रूपये 445 प्रति पेटी
4.	प्लेन (पैट), 50 डिग्री यू.पी.	रूपये 398 प्रति पेटी

(स) (1) यदि निविदादाता द्वारा उल्लेखित दरें, उपर्युक्त निर्धारित दरों से कम हैं तो अनुमोदित उल्लेखित दरों एवं उपर्युक्त वर्णित आधार दरों (बेस रेट्स) के मध्य के अंतर की राशि सफल निविदादाता द्वारा आबकारी राजस्व मुख्य शीर्ष 0039 में जमा करायी जायेगी।

(2) अगर निविदादाता द्वारा उल्लेखित (**Quoted**) दरें, उपर्युक्त दरों से पांच प्रतिशत वृद्धि तक ही प्राप्त होती हैं, तो ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई अंतर की राशि का भुगतान देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय संविदाकार (आसवक) को किया जायेगा।

(3) यदि निविदादाता द्वारा उल्लेखित दरें, उपर्युक्त निर्धारित दरों से पांच प्रतिशत से अधिक हैं, तब स्वीकृत उल्लेखित दरों एवं उपर्युक्त वर्णित आधार दरों **(Base Rates)** के मध्य के अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा प्रदाय संविदाकार (आसवक) को किया जायेगा।

(ii) <u>निविदादाता के पास अतीत में भी समान लायसेंस रहने की स्थिति में उसके कार्य सम्पादन अथवा आचरण पर विचार</u> :– निविदा के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया के

समय आसवक को पूर्व में आवंटित क्षेत्र/क्षेत्रों में उसके द्वारा की गई देशी मदिरा की आपूर्ति की नियमितता एवं कार्य सम्पादन/आचरण को ध्यान में रखा जायेगा।

(iii) उत्पादन क्षमता –

आसवनी की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए निविदादाता को जिले/जिलों में (जिसके लिए निविदा/निविदायें प्रस्तुत की गयी है) आवश्यक मात्रा में देशी मदिरा की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए।

निविदादाता राज्य के आपूर्ति क्षेत्र जिला/जिलों में (जिनके लिए वह निविदा प्रस्तुत कर रहा है) वॉछित मात्रा में बोतलबंद देशी मदिरा के प्रदाय हेतु आसवनी की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुये निविदा (Tender) प्रस्तुत कर सकेगा।

इच्छुक निविदादाताओं द्वारा बोतलबंद देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गई निविदा/निविदाओं में उसके द्वारा अंकित बोतलबंद देशी मदिरा की मात्रा–तीन करोड़ प्रूफ लीटर या आसवनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता का 80 प्रतिशत जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

यहां यह अधिसूचित किया जाता है कि देशी मदिरा की मांग 3 (तीन) करोड़ प्रूफ लीटर अथवा आसवनी की उत्पादन क्षमता का 80 प्रतिशत में से जो भी कम हो, का अर्थ सफल निविदादाता द्वारा वर्ष 2017–18 में किये गये देशी मदिरा के प्रदाय से न होकर यह सिर्फ निविदा हेतु पात्रता की शर्त है।

आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही सफल निविदादाता/निविदादाताओं को परिशोधित स्पिरिट या देशी मदिरा का राज्य के बाहर निर्यात करने की अनुमति होगी। सफल निविदादाता को यह अनुमति तभी दी जाएगी जब इस निर्यात से राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति की निरन्तरता बाधित न हो एवं मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम, 1995 में वर्णित अनुसार परिशोधित स्पिरिट और बोतलबंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्कंध उनके द्वारा यथावत बनाये रखा जाए।

किसी निविदा को स्वीकार या रद्द करने का निर्णय उपर्युक्त वर्णित शर्तो एवं अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

4. निविदा हेतु निबंधन एवं शर्तें–

प्रत्येक निविदादाता को उर्पयुक्त शर्तों के साथ निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करना होगा–

(i) समस्त निविदादाताओं को निविदा दस्तावेज़ इस कार्यालय से क्रय करने होंगे एवं संलग्न प्रपत्र में अपनी दरें प्रस्तुत करनी होंगी।

(ii) निविदादाता को निविदा दस्तावेज़ के साथ प्रत्येक आपूर्ति जिलें के लिए रूपये तीन लाख प्रति निविदा अर्नेस्टमनी की राशि अथवा सुरक्षा राशि मध्यप्रदेश राज्य कोषागार के मुख्य मद "8443 नागरिक जमा" लघु मद "राजस्व जमा, सुरक्षा जमा" में जमा करानी होगी तथा निविदा के साथ साईबर कोषालय चालान संलग्न करना होगा। किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक (केनरा बैंक को छोडकर) की **किसी भी शाखा से आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के पक्ष में ग्वालियर में देय बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार्य होगा।** जिस निविदा दस्तावेज़ के साथ रूपये तीन लाख का साईबर कोषालय चालान **अथवा बैंक ड्राफ्ट** संलग्न नहीं होगा, उसे तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। यदि निविदादाता निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में, सुरक्षा राशि जमा करने में अथवा उसके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को मानने में असमर्थता सूचित करता है अथवा ठेके की अन्य शर्तो/निबन्धनों अथवा निविदा की शर्त कमांक 10 का पालन करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्टमनी राशि **राजसात** कर ली जाएगी। निविदा स्वीकृत न होने की स्थिति में, अर्नेस्टमनी की राशि, यदि उसे **राजसात** करना आवश्यक नहीं है, वापस कर दी जाएगी।

(iii) निविदादाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ–साथ पार्टनरशिप–डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा। यदि निविदादाता कंपनी की ओर से निविदा देना चाहता है, तो निविदा देने के पूर्व उसे संबंधित

कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संचालक मण्डल की ओर से निविदादाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र भी उक्त आशय के **Resolution** के साथ स्वप्रमाणित(Self Attested) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) अनुज्ञप्तिधारक सी.एस.1 एवं/अथवा सी.एस.1–बी में अपनी अनुज्ञप्ति का विक्रय, बंधक, स्थानांतरण या उप–लीज वितरण, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। यदि इस आशय की अनुमति प्राप्त की गई है तो उसे अनुज्ञप्ति पर दर्ज किया जाएगा।

5. (1) 31 दिसंबर 2017 की स्थिति में निविदादाता के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य में देशी मदिरा के उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित कोई वसूली योग्य **बकाया** राशि नहीं होना चाहिए।

(2) **<u>निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :–</u>**

(i) वर्ष 2017–18 हेतु आसवनी लाइसेंस एवं देशी स्प्रिट के विनिर्माण, बोतल भराई एवं थोक प्रदाय संबंधी लायसेंसो की प्रमाणित प्रतियां।

(ii) पूर्ववर्ती वर्षो (2012–13 से 2016–17 तक) एवं चालू वर्ष के मदिरा के अद्यतन वास्तविक उत्पादन के संबंध में आसवनी के प्रभारी अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र ।

(iii) निविदाकर्ता द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि, उनकी कंपनी के विरूद्व राज्य में देशी मदिरा के उत्पादन एवं आपूर्ति से संबंधित कोई वसूली योग्य **बकाया** राशि लंबित नहीं है तथा आसवक ने आसवनी में अपशिष्ट उपचार संयंत्र **(Effluent treatment Plant)** स्थापित कर लिया है/के बारे में समुचित उपाय कर लिए हैं एवं अनुबंध अवधि के दौरान अपशिष्ट उपचार **(Effluent treatment)** उपायों की अनुपस्थिति अथवा अपर्याप्तता के आधार पर आसवनी के बंद होने की संभावना नहीं है।

टीपः– निविदा दस्तावेज के साथ शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न है।

6. (i) सफल निविदादाता परिशोधित स्पिरिट का परिवहन अपनी आसवनी से बॉटलिंग संयंत्र में करेगा एवं संलग्नक–I में सूचीबद्ध भण्डारण भाण्डागारों से देशी मदिरा की आपूर्ति उसे आवंटित जिले/जिलों में करेगा। देशी मदिरा का निर्माण एवं उसकी बॉटलिंग निविदादाता की बॉटलिंग इकाई/इकाईयों में की जाएगी, जो कि **प्राथमिकता के साथ (Preferably)** आसवनी परिसर में एवं/अथवा मध्यप्रदेश में कहीं भी अवस्थित होगी।

(ii) सफल निविदादाता देशी मदिरा के निर्माण और उसकी बॉटलिंग के लिए समस्त आवश्यक प्रबंध करेगा क्योंकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह **फुटकर** अनुज्ञप्तिधारी की पूर्ण मांग के अनुसार जिले/जिलों में देशी मदिरा की आपूर्ति करने में सक्षम है।

(iii) सफल निविदादाता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुबंध अवधि हेतु उसे आवंटित आपूर्ति जिले/जिलों के भाण्ड़ागारों से जिले/जिलों के फुटकर लाइसेंसियों को मानक अनुसार परिशोधित स्प्रिट के उपयोग से निर्मित देशी मदिरा की आपूर्ति का प्रबंध करें।

(iv) देशी मदिरा, बोतलें, लेबिल एवं बोतल के ढक्कन ऐसी अच्छी गुणवत्ता, मानक स्वरूप एवं विशिष्टताऐं **(Specifications)** वाले होने चाहिए, जैसा कि समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया हो।

देशी मदिरा का निर्माण, परिशोधित स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उसे न्यूनीकृत **(Reducing)**, सम्मिश्रित **(Blending)**, सुगंधीकृत **(Essencing)**, रंगीकृत **(Colouring)**, स्वाद **(Flavouring)**, परिपक्व **(Maturing)**, बोतलबंद **(Bottling)** लेबल लगाकर**(Labeling)**, सीलिंग **(Sealing)** इत्यादि कार्यो के साथ किया जाएगा। सफल निविदादाता परिशोधित स्पिरिट का परेषण अपनी आसवनी से

अपने बॉटलिंग संयंत्र तक करेगा। उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए परिशोधित स्पिरिट को देशी मदिरा में परिवर्तित किया जाएगा। वह केवल स्वच्छ व पीने योग्य **(Hygienic and Potable)** बोतलबंद देशी मदिरा को फुटकर अनुज्ञप्तिधरियों को बेचेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वह मानव उपभोग हेतु उपयुक्त हो।

(v) देशी मदिरा को 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर एवं 180 मिलीलीटर क्षमता की ग्लास तथा पैट बोतलों में भरा जाएगा। सफल निविदादाता को देशी मदिरा आपूर्ति फुटकर लायसेंसी की मांग के अनुसार ग्लास या पैट बोतलों में करनी होगी, जिसका निर्धारण जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर एवं 180 मिलीलीटर की काँच की बोतलें आकार में गोल होंगी, जैसा कि पूर्व में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्ष 2009–10 में जारी की गयी कांच की सपाट आकार **(Flat shape)** की 180 मिलीलीटर की बोतल भी बॉटलिंग हेतु इस्तेमाल की जा सकती है।

सफल निविदादाता 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर एवं 180 मिलीलीटर क्षमता वाली गोल/सपाट आकार की पैट **(PET)** बोतलों का उपयोग कर सकते हैं। पैट बोतल गंधहीन **(Odorless)**, स्वच्छ **(Clean)** एवं रंगहीन **(Colourless)** होनी चाहिये। यह शत प्रतिशत फूडग्रेड गुणवत्ता वाली होनी चाहिए ताकि मदिरा की गुणवत्ता में पतन **(Deterioration)** न हो। बोतल चमक **(Flash)**, बुलबुलों **(Bubbles)** व खरोंचों **(Scratches)** से मुक्त पारदर्शी **(Transparent)** होनी चाहिए। 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर एवं 180 मिलीलीटर की पैट बोतलों पर इसकी क्षमता को दर्शाया हुआ होना चाहिए। बोतल अच्छी गुणवत्ता की एवं स्वचालित तकनीक से निर्मित **(Automatically Manufactured)** होनी चाहिए। पुरानी एवं उपयोग की गई पैट **(PET)** बोतलों का बॉटलिंग में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। बोतल का विशिष्टताऐं **(Specifications)**आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी।

देशी मदिरा को केवल तीन तह की मजबूत लहरदार पेटियों **(3 Ply strong Corrugated Boxes)** में प्रदाय करना होगा। एक लहरदार पेटी **(One Corrugated Box)** में 750 मिलीलीटर की 12 बोतलें, 375 मिलीलीटर की 24 बोतलें एवं 180 मिलीलीटर की 50 बोतलें पैक की जाएगी।

(vi) 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर और 180 मिलीलीटर की देशी मदिरा की बोतलों की आपूर्ति फुटकर ठेकेदारों की मांग के अनुसार की जाएगी।

(vii) निविदादाता को ग्लास और पैट बोतलों की एक पेटी मसाला 25 यू.पी. (Under Proof) और एक पेटी प्लेन 50 यू.पी. (Under Proof) के लिए पृथक–पृथक कोटेशन देना होगा। उसे 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर और 180 मिलीलीटर की बोतलों वाली पेटी हेतु एक दर **उल्लेखित करनी होगी**। निविदा का मूल्याकंन निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई ग्लास और पैट बोतल की प्रति पेटी मसाला और प्लेन मदिरा की औसत उल्लेखित दर के आधार पर किया जाएगा।

(viii) आबकारी विभाग द्वारा संचालित दुकानों पर विक्रय होने वाली देशी मदिरा की आपूर्ति भी सफल निविदादाता को उपर्युक्त शर्तों एवं निबंधनों पर ही करनी होगी।

(lX) आसवक को प्रत्येक प्रकार एवं आकार के लेबल्स पर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार घोषित न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय मूल्य मुद्रित करने होंगे।

(X) सफल निविदादाता को प्रत्येक आकार की देशी मदिरा की बोतलों पर अपने व्यय पर आबकारी आयुक्त के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा होलोग्राम चस्पा करना होगा। इस हेतु उसे किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

(xi) सफल निविदादाता को प्रत्येक बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने होंगे। उसे बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में सफाई और स्वच्छता की देखभाल के समुचित प्रबंध करने होंगे।

(xii) देशी मदिरा को भरने में उपयोग में लाई जा रही कॉच की बोतलों को भरने के पूर्व

अनिवार्यतः दो बार धोया जाना चाहिये और किसी भी स्थिति में गंदी बोतल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये।

(xiii) सफल निविदादाता फुटकर ठेकेदारों से पुरानी कॉच की बोतलें खरीदने के लिये बाध्य नहीं होगा।

(xiv) सफल निविदादाता द्वारा बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में कार्य हेतु कामगारों की नियुक्ति पुलिस सत्यापन के बाद ही की जानी चाहिए एवं अपराधिक पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति कार्य पर नियुक्त नही किया जाएगा।

(xv) बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में काम करने वाले कामगारों को यूनीफार्म प्रदान की जानी चाहिये ताकि उनकी पहचान स्पष्ट हो सके।

(xvi) सफल निविदादाता द्वारा बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागार में काम करने वाले कामगारों को परिचय पत्र भी जारी करने चाहिए।

(xvii) प्रत्येक सफल निविदादाता को एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक की नियुक्ति करनी होगी जो आसवक के साथ–साथ स्वयं भी देशी मदिरा की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होगा।

(xviii) देशी मदिरा के निर्माण के लिए उपयोग किये जाने वाले पानी की जॉच माह में एक बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) से करानी होगी एवं उसी साफ पानी से मदिरा का निर्माण होना चाहिए जिसका भली भांति परीक्षण किया गया हो तथा मानव सेवन के लिए उपयुक्त हो। इसके अलावा पानी को मृदुकृत **(Softening)** करने के उपरांत ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए।

(xix) आसवक द्वारा उपयोग में लाये जा रहे रंग **(Colour)** एवं सुगंधकारक पदार्थ (Essence) की गुणवत्ता खाद्य श्रेणी **(Food grade quality)** की होनी चाहिये। सफल निविदादाता को इनके प्रत्येक लॉट **(Lot)** को बॉटलिंग संयत्र में लाते समय इन सामग्रियों के निर्माताओं द्वारा जारी किया गया उत्पादकता प्रमाणपत्र **(Production certificate)** प्रस्तुत करना होगा।

(xx) प्रत्येक न्यूनीकरण **(Reduction)** से संबधित तीन सेम्पल एकत्रित करके एक माह के लिए संरक्षित किया जाएगा ताकि देशी मदिरा की गुणवत्ता के बारे में किसी भी शिकायत की जॉच के मामले में इनका परीक्षण किया जा सके।

(xxi) प्रत्येक बॉटलिंग लाईन को बॉटलिंग करने के पूर्व और बॉटलिंग करने के पश्चात नियमित रुप से व आवश्यक रूप से साफ **(Wash)** किया जाना चाहिये।

(xxii) प्रत्येक आकार की मसाला और प्लेन मदिरा के लेबल मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 3–च के तहत अनिवार्यतः पंजीकृत होने चाहिए।

(xxiii) बोतलों पर लेबल इस तरह चिपकाये जाने चाहिए ताकि बोतलों की उठाई–धराई के दौरान उन पर चस्पा लेबल निकल न जायें।

(xxiv) देशी मदिरा के निर्माण के समय खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत मापदंडों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

(xxv) देशी मदिरा के बॉटलिंग संयंत्र और भाण्डागारों में निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए ।

(xxvi) देशी मदिरा की उठाई–धराई करने वाले कामगारों को काम के दौरान हमेशा अपने हाथों में अच्छी गुणवत्ता के दस्ताने पहनने चाहिये ताकि मदिरा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(xxvii) देशी मदिरा और परिशोधित स्प्रिट की माप के लिए, एक फ्लोमीटर, जिसकी न्यूनतम माप 01 लीटर से अधिक न हो, इसे निर्माण बॉटलिंग संयंत्र के प्रत्येक वैट **(VAT)** में स्थापित किया जाना चाहिये ।

(xxviii) निर्माण बॉटलिंग संयत्र में मदिरा और पानी के स्थानांतरण के लिए उपर्युक्त जी.आई. पाईप लाइन का इस्तेमाल होना चाहिए। मदिरा के स्थानांतरण के लिए रबर के पाइप के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। मदिरा का मैन्युली **(Manually)**

स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

(xxix) देशी मदिरा के उत्पादन हेतु प्रयोग की जाने वाली परिशोधित स्प्रिट की शक्ति/सांद्रता 66 डिग्री **Over proof** से कम नहीं होना चाहिये।

(xxx) सफल निविदादाता मसाला एवं प्लेन देशी मदिरा की आपूर्ति सीलबंद बोतलों में विभिन्न जायकों यथा नीबू, संतरा, सौंफ आदि में भी कर सकता है।

(xxxi) सफल निविदादाता प्रत्येक प्रकार की देशी मदिरा की बोतल के लेबल/पेटी पर संबधित आपूर्ति जिले (आपूर्ति क्षेत्र) का नाम छपवाएगा।

(xxxii) सफल निविदादाता को मसाला और प्लेन मदिरा के ग्लास/पैट बोतल वाली प्रत्येक पेटी का कुल वजन घोषित करना होगा एवं यह अनिवार्य रुप से पेटी के गत्ते पर मुद्रित/चस्पा (Print/Affix) करना होगा।

(xxxiii) सफल निविदादाता को प्रत्येक बॉटलिंग संयंत्र, भाण्डागारों पर स्वयं के खर्चे पर प्रतिष्ठित कंपनी की एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन लगवानी/स्थापित करनी होगी जो कि नाप–तौल विभाग द्वारा अनुमोदित हो। इसकी क्षमता एक बार में दस (10) पेटी वजन करने योग्य होनी चाहिए।

(xxxiv) देशी मदिरा के भाण्डागारों पर वीसेट या अन्य वैकल्पिक माध्यमों से नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाना मदिरा प्रदाय संविदाकार का अनिवार्य दायित्व होगा।

7. देशी मदिरा प्रदाय की वास्तविक मात्रा वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित आपूर्ति मात्रा से अधिक हो सकती है, निविदादाता के लिए यह बाध्यकारी है कि वह भाण्डागारों से प्लेन और मसाला देशी मदिरा की आवश्यकतानुसार पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करें एवं तदनुसार निर्माण बॉटलिंग इकाई/इकाइयों की स्थापना करें। सफल निविदादाता देशी मदिरा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार नए बॉटलिंग संयत्र की स्थापना के लिए बाध्य होगा।

01 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान प्रत्येक जिले के भाण्डागारों से वास्तविक रुप से प्रदाय की गई मदिरा का विवरण निम्न तालिका अनुसार है:–

क्रमांक	जिला (आपूर्ति क्षेत्र) का नाम	**01 अप्रैल 2017 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान प्रदाय की गई देशी मदिरा की वास्तविक मात्रा (लाख प्रूफ लीटर में)**
1.	ग्वालियर	35.05
2.	मुरैना	15.73
3.	भिण्ड	14.53
4.	दतिया	7.85
5.	श्योपुर	6.56
6.	गुना	6.65
7.	अशोकनगर	7.73
8.	शिवपुरी	18.12

9.	सागर	35.17
10.	दमोह	21.17
11.	छतरपुर	17.50
12.	टीकमगढ़	17.78
13.	पन्ना	6.97
14.	उज्जैन	43.56
15.	मंदसौर	17.19
16.	नीमच	10.25
17.	रतलाम	17.86
18.	देवास	20.12
19.	भाजापुर	11.68
20.	आगर	5.43
21.	इंदौर	72.82
22.	खरगोन	20.51
23.	बडवानी	9.70
24.	धार	22.52
25.	झाबुआ	4.71
26.	खण्डवा	14.67
27.	बुरहानपुर	5.74
28.	अलीराजपुर	1.67
29.	भोपाल	40.96
30.	बैतूल	11.32
31.	होशंगावाद	15.62
32.	हरदा	4.47
33.	राजगढ़	16.11
34.	सीहोर	16.45
35.	विदिशा	17.00
36.	रायसेन	16.43
37.	जबलपुर	49.82
38.	कटनी	23.72
39.	बालाघाट	17.71

40.	छिंदवाडा	18.04
41.	नरसिंहपुर	15.16
42.	सिवनी	10.08
43.	मण्डला	4.01
44.	डिण्डोरी	0.82
45.	रीवा	17.52
46.	सतना	18.15
47.	शहडोल	3.82
48.	सीधी	7.39
49.	सिंगरौली	7.31
50.	उमरिया	3.11
51.	अनूपपुर	2.52
कुल योग		**826.81**

नोट – भाण्डागारों की सूची संलग्नक –I में दी गई है ।

8 (i) सफल निविदादाता को अनुबंध अवधि के दौरान चुंगी **(Levy)**, कच्ची सामग्री **(Raw material)** की कीमत, निर्यात, आयात भुल्क या किसी अन्य प्रकार के कराधान **(Any other Taxation)** में परिवर्तन के फलस्वरुप दरों में संशोधन हेतु मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) यदि देशी मदिरा के बहुतायत आपूर्ति क्षेत्रों के सफल निविदादाता वर्ष 2018–19 की समान मदिरा प्रदाय दरों एवं शर्तों पर वर्ष 2019–20 में प्रदाय के लिए सहमत हों तो वर्ष 2018–19 की निविदा को आगामी वर्ष अर्थात् वर्ष 2019–20 के लिए बढ़ाया जायेगा।

(iii) आपूर्ति लायसेंस की शर्ते एवं इन आपूर्तियों पर लागू नियम समय–समय पर राज्य सरकार के विवेकाधीन संशोधित किये जा सकते हैं।

9. सफल निविदादाता को विभागीय/शासकीय भाण्डागार का किराया लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर भुगतान करना होगा। किसी तरह की चूक होने पर किराये. की वसूली लायसेंसी से की जाएगी। यदि शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है तो सफल निविदादाता को भाण्डागार भवन हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

10. आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित किये जाने पर, सफल निविदादाता को निवृत्तमान लायसेंसी (Outgoing licensee) से लागू दरों पर शेष देशी मदिरा को क्रय करना होगा।

11. (i) सफल निविदादाता को प्रत्येक क्षेत्र (जिला) के लिये संलग्नक–II में दर्शायी गई दरों के अनुसार सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। यह राशि आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के पक्ष में ग्वालियर में देय एवं दिनांक 30.06.2019 तक वैध (valid) किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक (केनरा बैंक को छोडकर) के **बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक नगदी आदेश**/बैंक गारंटी/सावधि बैंक जमा या साईबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा करायी जा सकती है।

(ii) सफल निविदादाता को आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पक्ष में संलग्नक–।। में दर्शायी गयी राशि के अनुरुप अतिरिक्त सुरक्षा राशि के रुप में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक (केनरा बैंक को छोडकर) के 09 पोस्टडेटेड चेक जमा कराने होंगे। पोस्टडेटेड चेक पर मई 2018 से जनवरी 2019 तक प्रत्येक माह की पहली तिथि अंकित होनी चाहिये।

(iii) ये सुरक्षा राशियां मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों में वर्णित प्रावधानों के पूरा होने के एवज में रखी जाएगी।

12. सफल निविदादाता को देशी मदिरा की आपूर्ति में देरी या असफलता की स्थिति में राज्य सरकार एवं फुटकर ठेकेदारों को हुई वित्तीय हानि के हर्जाने एवं मुआवजे के भुगतान हेतु एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मामलों में, देशी मदिरा की आपूर्ति स्वयं के जोखिम एवं लागत पर वैकल्पिक स्त्रोत से सुनिश्चित करनी होगी। यदि किसी विशेष पखवाड़े में देशी मदिरा की आपूर्ति अपर्याप्त होने के कारण चालान लंबित होते हैं तो सफल निविदादाता को त्रुटिकर्ता (Defaulter) माना जाएगा। एक से अधिक बार लगातार त्रुटिकर्ता (Defaulter) होने पर इसे आपूर्ति की सतत् असफलता माना जाएगा। आपूर्ति की ऐसी लगातार असफलता या अन्य आकस्मिकता होने की स्थिति में सफल निविदादाता के आपूर्ति क्षेत्र को निकटवर्ती ऐसे देशी मदिरा आपूर्तिकर्ता (सी.एस.1 लायसेंस धारक) के साथ संलग्न किया अथवा आवंटित किया जा सकता है, जिसकी दरें न्यूनतम हैं एवं निविदा की शर्त कमांक–3 के अनुसार जिनकी क्षमता समाप्त नहीं हुई है। किसी असाधारण स्थिति एवं समय विशेष पर यदि आबकारी आयुक्त को यह लगता है, कि कच्ची सामग्री, कोयला आदि की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी होने के कारण देशी मदिरा आपूर्ति की वर्तमान दरें अव्यवहारिक हो गई हैं एवं वर्तमान दर पर देशी मदिरा आपूर्ति करना, सफल निविदादाता के लिए संभव नहीं है तो उस क्षेत्र के लिए त्रुटिकर्ता (Defaulter) आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर नवीन निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं। मूल्य में आए अंतर का वहन त्रुटिकर्ता (Defaulter) सफल निविदादाता को करना होगा। उक्त घाटा, मुआवजा एवं अंतर की वसूली इस निविदा शर्त 4 (ii) में वर्णित अर्नेस्टमनी राशि एवं शर्त कमांक–11 में वर्णित सुरक्षा जमा में से की जाएगी। शेष रहने की स्थिति में बकाया राशि निविदादाता से भू–राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।

13. निविदा दो सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए। पहला सीलबंद लिफाफा, जिसे भाग–एक कहा गया है, में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दस्तावेज/प्रपत्र होने चाहिए तथा लिफाफे पर भाग एक/————(जिले का नाम) हेतु सीलबंद ग्लास/पैट बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु निविदा की पात्रता हेतु दस्तावेज/प्रपत्र लिखा जाना चाहिए। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक क्षेत्रों (जिलों) के लिए आवेदन करता है तो उस शर्त 4(iii) एवं 5 में वर्णित दस्तावेज एक बार ही प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा। संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र/दस्तावेज/प्रपत्र निम्नवत हैं–

(i) शर्त कमांक 4(iii) के अनुसार विवरण

(ii) शर्त कमांक 5 के अनुसार प्रमाण पत्र/दस्तावेज।

दूसरे सीलबंद लिफाफे को जिसे "भाग–दो कहा गया है, को केवल निर्धारित प्रपत्र संलग्नक–।।। में ही दिया जाएगा एवं लिफाफे के शीर्ष पर भाग–दो ———(जिले का नाम) हेतु सीलबंद ग्लास/पैट बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दर लिखा जाना चाहिए। इसमें शर्त कमांक 4 (ii) के अनुसार अर्नेस्टमनी राशि का बैंक ड्राफ्ट और वित्तीय प्रस्ताव होना चाहिए। एक लिफाफे में एक से अधिक प्रस्ताव और अर्नेस्टमनी राशि के ड्राफ्ट रखे जा सकते हैं।

शब्द सीलबंद से तात्पर्य है कि लिफाफा भली भांति इस तरह बंद और चिपका हुआ होना चाहिए कि लिफाफे के अंदर के कागज इसे खोले बिना पठनीय न हों।

दोनों लिफाफे अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास दिनांक 20 फरवरी, 2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। निविदादाता भाग एक लिफाफे को आबकारी आयुक्त के पास प्रस्तुत

करके समय पूर्व परीक्षण करवा सकता है। सीलबंद लिफाफों को उसी दिन शाम 04:00 बजे आबकारी आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा खोला जायेगा। भाग एक लिफाफे, जिसमें पात्रता सुनिश्चित करने हेतु वांछित दस्तावेज/प्रपत्र होते हैं, पहले खोला जायेगा। निविदादाता के आग्रह पर भाग–एक को निर्धारित समय के पूर्व परीक्षण करवाया जा सकता है। परीक्षण पर, यदि आबकारी आयुक्त संतुष्ट होते हैं कि निविदादाता इस नोटिस के अधीन निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र है, तभी भाग–दो लिफाफे में प्रस्तुत दर प्रस्ताव को खोला जाएगा।

14. निर्धारित निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से रुपए 5000/– (रूपये पांच हजार केवल) प्रति प्रपत्र साईबर ट्रेजरी चालान अथवा **किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक (केंनरा बैंक को छोडकर) द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पक्ष में जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक केश आर्डर प्रदान** करके भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि निविदादाता चाहे तो निविदा प्रपत्र उसे डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। दस्तावेजों को डाक कार्यालय, डाक विभाग, भारत सरकार के माध्यम से प्रति क्षेत्र हेतु रुपए 5100/–(रुपये पांच हजार एक सौ मात्र) का भुगतान साईबर ट्रेजरी चालान किसी **राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक (केनरा बैंक को छोडकर) द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक केश आर्डर प्राप्त होने के पश्चात्** प्रेषित किया जाएगा। डाक से प्रेषित किये गये निविदा प्रपत्र के आवेदक तक पहुंचने या न पहुंचने का दायित्व विभाग का नहीं होगा।
15. निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह है कि उन्होंने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों, विशेषकर मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम, 1995, निविदा की समस्त शर्तो एवं सुसंगत प्रावधानों को पढ़ एवं समझ लिया है। निविदादाता पर यह म.प्र.आबकारी अधिनियम, 1915, नियम, निविदा की विस्तृत शर्ते, ग्लास और पैट बोतलों की विशिष्टताऐं एवं निविदा प्रपत्र की विषयवस्तु आदि कानूनी रुप से बाध्यकारी होंगी।
16. ये शर्ते वर्ष 2018–19 के दौरान पुनः निविदा होने के मामले में भी लागू होंगी।
17. निविदा प्रपत्र में मामूली त्रुटि को आबकारी आयुक्त की अनुमति से यथास्थान सुधारा जा सकता है।
18. राज्य शासन के पास किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार है।
19. निविदा की शर्तो एवं निबन्धनों की व्याख्या में किसी तरह का विवाद होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
20. इस निविदा से उपजे समस्त कानूनी विवाद मध्यप्रदेश के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
21. सफल निविदादाता शासन द्वारा आरोपित कर, शुल्क एवं प्रभार, यदि हों, के भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं।
22. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधान, उनके अधीन निर्मित नियम, राज्य शासन एवं आबकारी आयुक्त के आदेश सफल निविदादाता पर बाध्यकारी होंगे।

अरुण कोचर, आबकारी आयुक्त.

संलग्नक– I

भण्डारण भाण्डागारों की सूची		
क.	जिले का नाम	भण्डारण भाण्डागार का स्थान
1	2	3
1	ग्वालियर	ग्वालियर , ड़बरा
2	मुरैना	मुरैना, सबलगढ़, अम्बाह
3	श्योपुर	श्योपुर, विजयपुर
4	भिण्ड़	भिण्ड़, लहार
5	दतिया	दतिया
6	गुना	गुना
7	अशोकनगर	अशोकनगर
8	शिवपुरी	शिवपुरी, करेरा, पिछोर
9	सागर	सागर, खुरई, रेहली
10	दमोह	दमोह, हटा
11	छतरपुर	छतरपुर, नौगांव
12	टीकमगढ़	टीकमगढ़, जतारा, निवारी
13	पन्ना	पन्ना, अमानगंज
14	उज्जैन	उज्जैन, बड़नगर,खाचरौद,महिदपुर,तराना
15	मंदसौर	मंदसौर,गरौठ
16	नीमच	नीमच, रामपुरा
17	रतलाम	रतलाम, आलोट, जावरा
18	देवास	देवास,सोनकच्छ, कन्नौद
19	शाजापुर	शाजापुर, शुजालपुर
20	आगर	आगर,सुसनेर
21	इंदौर	इंदौर, महू
22	खरगौन	खरगौन,बडवाह,
23	बड़वानी	बड़वानी, सेंधवा,खेतिया
24	धार	धार,बड़नावर,सरदारपुर,धरमपुरी,कुक्षी
25	झाबुआ	झाबुआ,पेटलावाद
26	अलीराजपुर	अलीराजपुर
27	खण्ड़वा	खण्ड़वा
28	बुरहानपुर	बुरहानपुर
29	भोपाल	भोपाल

30	बैतूल	बैतूल,मुलताई,भैंसदेही
31	होशंगाबाद	होशंगाबाद,सुहागपुर
32	हरदा	हरदा
33	राजगढ़	नरसिंहगढ़,सारंगपुर,ब्यावरा,जीरापुर
34	सीहोर	सीहोर,आष्टा,नसरूल्लागंज
35	विदिशा	विदिशा,बासौदा,सिरोंज
36	रायसेन	रायसेन,औबेदुल्लागंज,गैरतगंज, बरेली
37	जबलपुर	कजरवारा(जबलपुर), सीहोरा
38	कटनी	कटनी
39	बालाघाट	बालाघाट
40	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा, अमरबाड़ा,जामई,सौसर,परासिया
41	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर,गाडरवारा
42	सिवनी	सिवनी,लखनादौन
43	मंड़ला	मंड़ला,नैनपुर
44	ड़िण्डौरी	ड़िण्डौरी
45	रीवा	रीवा
46	सतना	सतना
47	शहड़ोल	शहड़ोल
48	अनुपपुर	अनुपपुर
49	उमरिया	उमरिया
50	सीधी	सीधी
51	सिंगरौली	वैढन

संलग्नक–II

जिलावार (आपूर्ति क्षेत्रवार) सुरक्षा राशि

क्र.	जिले का नाम (आपूर्ति क्षेत्र)	सुरक्षा राशि (रू. लाख में)
1	2	3
1	ग्वालियर	50
2	मुरैना	23
3	भिण्ड	21
4	दतिया	11
5	श्योपुर	10
6	गुना	10
7	अशोकनगर	11
8	शिवपुरी	26
9	सागर	50
10	दमोह	30
11	छतरपुर	25
12	टीकमगढ़	25
13	पन्ना	10
14	उज्जैन	61
15	मंदसौर	25
16	नीमच	15
17	रतलाम	25
18	देवास	29
19	शाजापुर	17
20	आगर	08
21	इंदौर	102
22	खरगौन	29
23	बड़वानी	14
24	धार	32
25	झाबुआ	07
26	खण्डवा	21
27	बुरहानपुर	09
28	अलीराजपुर	03
29	भोपाल	58
30	बैतूल	16
31	होशंगाबाद	22
32	हरदा	07
33	राजगढ़	23
34	सीहोर	24
35	विदिशा	24
36	रायसेन	23
37	जबलपुर	70
38	कटनी	34
39	बालाघाट	25
40	छिंदवाड़ा	26
41	नरसिंहपुर	22

42	सिवनी	15
43	मंड़ला	06
44	ड़िण्डौरी	02
45	रीवा	25
46	सतना	26
47	शहड़ोल	06
48	सीधी	11
49	सिंगरौली	11
50	उमरिया	05
51	अनुपपुर	04
	योग	**1184**

अरुण कोचर, आबकारी आयुक्त.

संलग्नक–III

मध्यप्रदेश शासन
आबकारी विभाग

वर्ष 2018–19 के लिए सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा (स्पिरिट) के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्ताव

मैं/हम ....(निविदादाता कम्पनी/फर्म का नाम) निवासी.......................(पूर्ण पता) एतद् द्वारा देशी मदिरा के प्रदाय क्षेत्र (.......................जिला/जिलों का नाम) में स्थित देशी मदिरा भाण्डागारों पर देशी मदिरा का परिवहन एवं देशी मदिरा भाण्डागारों से मदिरा के फुटकर ठेकेदारों को सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु आमंत्रित निविदा के लिए अपनी निविदा निम्नांकित दरों पर प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। मैनें/हमने निविदा सूचना की शर्तों को पढ़ लिया है तथा शर्तों के अनुसार कार्य करना मुझे/हमें स्वीकार है।

क्रमांक	विवरण	आधार दर (रूपये प्रति पेटी)	प्रस्तावित दर * (रूपये प्रति पेटी)
1.	मसाला देशी मदिरा (ग्लास), 25 डिग्री यू. पी.	रू. 520/–	रू.. ...
2.	मसाला देशी मदिरा (पैट), 25 डिग्री यू.पी.	रू. 471/–	रू.. ...
3.	प्लेन देशी मदिरा (ग्लास), 50 डिग्री यू.पी.	रू. 445/–	रू.. ...

4.	प्लेन देशी मदिरा (पैट), 50 डिग्री यू.पी. (मसाला/प्लेन देशी मदिरा का निर्माण बॉटलिंग यूनिट में करने के पश्चात् निविदा प्रपत्र में अंकित संग्रहण भाण्डागार से प्रदाय सीलबंद बोतलों में फुटकर ठेकेदारों को किया जावेगा।)	रू. 398/—	रू...................................... ...

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पूरा नाम..

पद..

पता...

दूरभाष नंबर..

फैक्स नंबर...

ई—मेल ....

दिनांक..

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.